समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

अंक ११, नं. १ एप्रिल - सितंबर २०२२

विषय सूचि

प्रस्तावना

१. समाचार

- फ़ाज़िलका ईकोकैब: साइकिल रिक्शे का बदलता स्वरूप
- प्रदूषण मुक्त और सतत यातायात

२. दृष्टिकोण

- ग्रिड के अतिरिक्त संभावनाएँ
- स्थानीयकरण: ब्यूएन विविर के माध्यम से जलवायु अस्थिरता और भूमंडलीकरण को संबोधित करना

३. उम्मीद के निशां

- भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य में रसोई कृषि के माध्यम से स्थानीय खाद्य प्रणालियों का सशक्तिकरण

४. वृत्त अध्ययन

- लद्दाख का गोबा – पारंपरिक प्रशासन तंत्र की वर्तमान प्रासंगिकता

समृद्ध जीवन पर विशेषांक

प्रस्तावना

एक सवाल जो मानवता को हमेशा से परेशान करता आया है, वह है अच्छे जीवन का सवाल।

अच्छा जीवन क्या होता है?

बेशक इस का कोई एक जवाब नहीं है। स्वाभाविक है कि अच्छे जीवन के सवाल के विभिन्न प्रकार के जवाब देने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका मानना है कि पूंजीवाद जिस उपभोक्तावादी समाज को जन्म देता है (लाभ के निजीकरण, हानियों के सामाजीकरण और प्रकृति के विनाश के सिद्धांत पर आधारित होने के बावजूद) वही दुनिया की संभावनाओं में से सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसे दावों ने बड़े पैमाने पर खुद को नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकीय रूप से इस आधार पर अमान्य बना लिया है कि पूंजीवाद ने गरीबी, शोषण, नरसंहार युद्ध, परिहार्य पीड़ा और जलवायु संकट पैदा किया है जो हमारी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है।

सुक्रात जैसे दार्शनिकों ने चिंतन में रह कर गुज़रने वाले और दार्शनिक राजा द्वारा शासित एक गणतंत्र के अंतर्गत जीवन के बारे में बात की, जो कि तार्किक रूप से जीने का सबसे बड़ा अवसर दे सकता है। बुद्ध ने बीच के रस्ते की बात की, जबकि ताओ त्ज़ू ने ताओ के अनुरूप जीने के बारे में। हमारे समय के नज़दीक, कार्ल मार्क्स ने वर्गविहीन साम्यवाद की बात की जहां सब के स्वतंत्र और सम्पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक का स्वतंत्र और सम्पूर्ण विकास होना ज़रूरी है, और, जहां प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान करता हो और समाज उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें वापस देता हो। गांधीजी ने स्वराज (या राम राज्य) में जीने की बात की जो कि स्थायी ग्राम गणराज्यों के विचार पर आधारित था जिसके पीछे यह समझ थी कि पृथ्वी पर सबकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए नहीं।

ऐसे भी नज़रिये मौजूद हैं, जो मूलरूप से ज़्यादा स्वदेशी हैं, जैसे कि अफ्रीकी मूल का उबुनतु जहां हमारी साझी मानवता को शुरुआती बिन्दु के रूप में देखा जाता है या फिर ब्यूएन विविर जिसके अंतर्गत मनुष्य–और गैर–मनुष्यों के साथ मिलकर अच्छा जीवन जीने की बात कही गई है। जैसे कि इस संस्करण में शामिल एक निबंध में कहा है, यह लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के अधिकार से संबंधित है, और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के एक नए/पुरातन तरीके को बढ़ावा देता है जिसमें और ज़्यादा खुशी प्राप्त करना शामिल है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के माध्यम से नहीं जिसे पूंजीवादी समाज बढ़ावा दे रहा है।

शब्दों और वाक्यांशों के पीछे कुछ विचार होते हैं – पुराने और नए – जैसे कि विकास, आर्थिक विकास, गिरावट, सततता, विकास–पर्यंत, भूमंडलीकरण, स्थानीयकरण, भूमंडली–स्थानीयकरण, आदि। नये के भी अलग–अलग विचार होते हैं; पुनर्वितरणात्मक, पुनर्स्थापनात्मक, दंडात्मक, निष्पक्षता। शायद इस सब के पीछे एक आदर्शवादी सपना और वादा है जो मानवता ने खुद से किया है। लेकिन तब तक हम निहित या स्पष्ट निराशा के युग में जी रहे हैं, जिसमें जलवायु संकट, खाद्य असुरक्षा, पलायन, बाढ़, सूखा, युद्ध, और हिंसा व्याप्त है। और पूरी संभावना है कि इस सब की भविष्य में और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। जहां कुछ लोग इस सब के बारे में चिंतित और व्याकुल हैं, अन्य लोग शतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर छुपाए हैं, और उन्हें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है।

इस संदर्भ में आम लोग और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों को 'सक्षमकारी– रोमांचक– आदर्श' बनाने होंगे जो उन्हें रचनात्मक और सहर्ष रूप से एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने में मदद करे। यह आदर्श सच्चाई से विमुख नहीं बल्कि वास्तविकता पर आधारित होंगे। इनमें रोमांच का एक पहलू होगा जैसा कि मार्क्स के 'वर्ग–विहीन समाज' और गांधी के 'रामराज्य' के विचारों में था।

यह वास्तविकता पर आधारित और रोमांचक आदर्श लोगों को बेहतर समाज और पर्यावरण के लिए काम करते हुए सकारात्मक और खुश रखने में मदद करेगा। स्वाभाविक रूप से, यह आदर्श संगीत, नृत्य, साहित्य और आध्यात्म से भी सम्पन्न होगा। यह आदर्श संकीर्ण धार्मिक सीमाओं से आगे होगा और हमारी साझी मानवता को महत्व देगा।

मिलिंद (कल्पवृक्ष, पुणे)
सिद्धार्थ (पीपल ट्री, बंगलुरु)

१. समाचार

फ़ाज़िलका ईकोकैब: साइकिल रिक्शे का बदलता स्वरूप

निशांत द्वारा

फ़ाज़िलका ईको कैब: फ़ाज़िलका ऐतिहासिक घंटाघर के सामने

तेज़ी से बढ़ते वाहनीकरण और शहरों के निजीकरण ने गंभीर स्वास्थ्य संबंधी संकट खड़े कर दिए हैं और यातायात तक लोगों के बीच अवसरों तक पहुँच संबंधी बड़े अंतर पैदा कर दिए हैं। इस चलन की प्रतिक्रिया में, फ़ाज़िलका के कुछ उत्साही व्यक्तियों के एक समूह ने गैर–वाहनीकृत सांझी यातायात की अवधारणा को पुनर्जीवित करने के लिए ईको कैब के रूप में एक नई योजना विकसित की है।

फ़ाज़िलका नगरपालिका भारत–पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब में स्थित है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग ८० हज़ार है। छोटा शहर होने के कारण, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कम दूरी का ही सफ़र तय करते हैं। हाँलाकि फ़ाज़िलका वासियों के लिए रिक्शा यातायात का उपयुक्त साधन है, लेकिन रिक्शा के उपयोग में मोटर गाड़ियों के प्रसार के कारण भारी कमी आ रही थी। मोटर गाड़ियों ने सड़कों की भीड़–भाड़ बढ़ाने के साथ–साथ रिक्शे के लिए दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ा दीं – इन दोनों कारणों से लोगों ने रिक्शे का उपयोग कम कर दिया।

विकल्प संगम वेबसाईट के लिए विशेष रूप से लिखा गया।

अधिक जानकारी के लिए देखें: **https://vikalpsangam.org/article/fazilka-ecocab-changing-the-face-of-cycle-rickshaw/**

संपर्क

श्री. नवदीप असीजा, सचिव, स्नातक कल्याण संघ फ़ाज़िलका
ईमेल: **contactlovefazilka.org**
फोन: +९१ ९४६४४१३३२३
अधिक जानकारी के लिए: **https://www.ecocabs.org**

प्रदूषण मुक्त और सतत यातायात

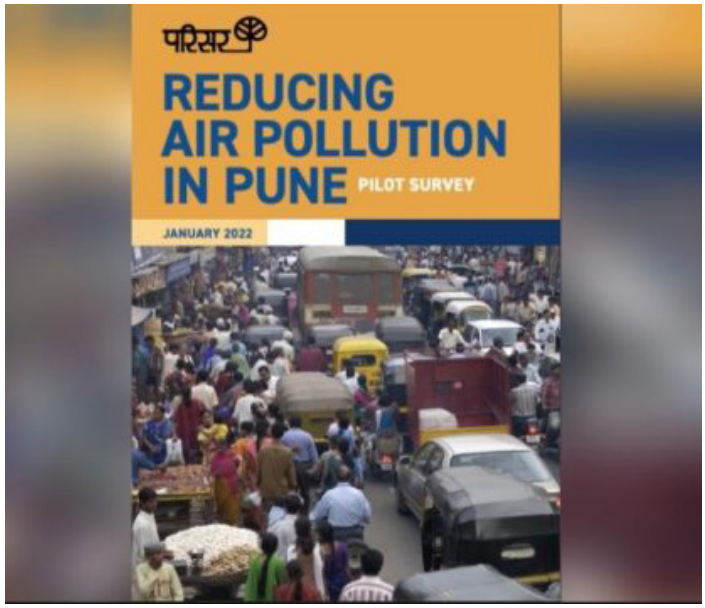

पुणे वासी अपने शहर की वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, फिर चाहें वह पैदल चलना हो, साइकिल का उपयोग करना हो या फिर यातायत के लिए सार्वजनिक बसों का उपयोग करना हो – बशर्ते पुणे महानगरपालिका मौजूदा सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करे।

यह निष्कर्ष पुणे स्थित परिसर नामक नागरिक संस्था द्वारा किए गए एक प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त हुए हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने जनवरी माह में ७०१ उत्तरदाताओं (सभी पुणे निवासी) से सुझाव पत्र इकट्ठे किए। सुझाव पत्र उन नागरिकों ने भरे जिन्होंने परिसर संस्था द्वारा जे.एम. रोड पर हाल में चलाए गए लंग्स बिल्बोर्ड प्रयास का भ्रमण किया।

सर्वेक्षण में पुणे महानगरपालिका द्वारा शुद्ध हवा के लिए किए गए प्रयासों के बारे में पुणे वासियों से सवाल पूछे गए। निष्कर्षों के अनुसार, ३९% लोगों का मानना है कि यदि सार्वजनिक यातायात में आरामदायक और सस्ती बस सेवा उपलब्ध कराई जाए, तो यह वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, जबकि ३०% का मानना है कि सुरक्षित और बेहतर पैदल चलने व साइकिल चलाने की सुविधाएँ होने से वायु गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिलेगी।

प्रथम प्रकाशन पुणेकर न्यूज़ द्वारा ७ फरवरी, २०२२ को।

अधिक जानकारी के लिए देखें: **https://vikalpsangam.org/article/punekars-are-keen-on-reducing-air-pollution-in-the-city-through-sustainable-mobility/**

✦✦

२. दृष्टिकोण

ग्रिड के अतिरिक्त संभावनाएँ

स्टीवन गोरलिक

३० वर्ष पहले मेरे एक दोस्त ने ५० सिम्पल थिंग्स यू केन डू टू सेव द अर्थ (५० आसान चीजें जो आप धरती को बचाने के लिए कर सकते हैं) नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें बताया गया है कि, यदि हर व्यक्ति अपनी जीवनशैली में कुछ आसान से सुधार कर ले, तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँच सकता है। यदि आने-जाने वाली हर कार सिर्फ एक और व्यक्ति को अपने साथ ले ले तो प्रतिदिन लगभग २२,७२,००० लीटर गैस/ पेट्रोल/ डीज़ल की बचत की जा सकती है। यदि हम अपने रविवार के अखबार को रीसाइकल करें तो हर सप्ताह लगभग ५,००,००० पेड़ बचाए जा सकते हैं। और इन्हीं कारणों से यह किताब उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई क्योंकि कम-से-कम आंशिक रूप से कारण यह था कि इस किताब में यह आश्वासन दिया गया था कि हम धरती को आसानी से बचा सकते हैं।

सरल या अति-सरलीकृत?

दुर्भाग्यवश, इन सरल उपायों के प्रस्तावित लाभ असल में बेहद मामूली हैं, जबकि इससे जुड़ी हुई समस्या बहुत बड़ी है। २२,७२,००० लीटर गैस/ पेट्रोल/ डीज़ल की बचत काफ़ी प्रभावशाली लगती है, मगर यह देश की रोज़ाना खपत का सिर्फ ०.१५% ही है। सिर्फ एक सप्ताह में ५०,००० पौधों को बचा पाना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दुखद सच यह है कि अखबारों के रीसाइकल होने के बावजूद विश्व स्तर पर, हर मिनट में ३५ एकड़ जंगल खत्म हो रहे हैं।

५० सिम्पल थिंग्स नामक किताब अब प्रकाशन में नहीं है, मगर यह विचार कि आधुनिक जीवन में छोटे-मोटे बदलाव कर लेने से हमारी अतिआवश्यक पर्यावरण समस्याएँ खत्म हो जाएंगी, हमारे बीच से जाने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, वर्ष २००६ में, अल गोर की एन इनकनवीनिएन्ट ट्रुथ नामक डीवीडी में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए दस तुरंत करने वाली गतिविधियां शामिल की गईं : जैसे और ज़्यादा रीसाइकल करना, टायरों में हवा का उचित दबाव रखना, गरम पानी का कम-से-कम उपयोग, और अन्य इसी तरह के अति-सरलीकृत उपाय। अभी भी ऐसी दर्जनों वेबसाईट हैं जो ऐसे उपाय देती हैं: जैसे कि ५० वेज़टुहेल्प.कॉम जहां अनुपयोगी दिलासे देने वाली चीजें दी गई हैं (नैप्किंस को बर्बाद न करें) और साथ ही ऐसे सुझाव देती हैं जिनका १९९० में प्रकाशित किताब पूर्वानुमान नहीं लगा पाई।

तकनीकी कोई रामबाण इलाज नहीं है

यदि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति मुख्यधारा के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया है तो वह है कि वर्तमान के समाधान प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं: इलेक्ट्रिक कारें और एलईडी बल्ब, स्वच्छ कोयले और अनुवांशिक रूप से बनाए गए जैव-ईंधन। इसका मतलब हुआ कि जहां लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर अभी भी ऐसे छोटे-मोटे उपाय बताए जा रहे हैं, वहीं बड़े बदलावों के लिए बड़े उद्योगों पर निर्भर किया जा रहा है। और यही आईबीएम के स्मार्टर प्लेनेट पहल का आधार है (एक कॉर्पोरेट अभियान जिसका अर्थ है कि हमारे स्वभाविक रूप से मूर्ख ग्रह को पर्यावरणीय समाप्ति जैसी शर्मनाक गलती से बचाने के लिए कॉर्पोरेट मदद की ज़रूरत है)। आईबीएम का मानना है कि हमारी पृथ्वी हमारी आँखों के सामने अधिक बुद्धिमान बन सकती है – और ज़्यादा स्मार्ट पावर, और ज़्यादा स्मार्ट खाद्य प्रणाली, और ज़्यादा स्मार्ट जल, और ज़्यादा स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट यातायात प्रणाली – जैसी डिजिटल तकनीकियों के माध्यम से।

स्मार्टर प्लेनेट प्रयास दूसरे शब्दों में यह कह रहा है कि पर्यावरणीय संकटों के समाधान सिर्फ कॉर्पोरेट जगत से ही प्राप्त हो सकते हैं।

पहली नज़र में देखें तो ५० सिम्पल थिंग्स और द स्मार्टर प्लेनेट पहल एक-दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों की मूल धारणा एक ही है, वो यह कि हमारी अनगिनत समस्याओं के लिए प्रणालीगत बदलाव की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाए, इनका मानना है कि आधुनिक औद्योगिक जीवन अपने चौमुखी विस्तार को हमेशा के लिए जारी रख सकता है – स्मार्ट फोन, सुपर हाइवे, रोबोटिक वैक्युम आदि – जब तक आम लोग सिम्पल थिंग्स करते रहेंगे, तो संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकीय पतन को दूर रखा जा सकता है।

यह एक संदिग्ध रणनीति है। जलवायु संकट के लिए इसका जो भी अर्थ हो, यह सुनिश्चित करती है कि सांस्कृतिक और जैविक विविधता का पतन होता रहेगा; अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ेगा; अंतर्राष्ट्रीय निगमों का धन और ताकत निरंतर बढ़ती रहेगी। (कहने की ज़रूरत नहीं है, कि बड़े निगम धरती को बचाने के लिए तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि यह उनकी बुनियादी ज़रूरत से नहीं जुड़ता: उदाहरण के लिए ग्रह का स्मार्ट बनना आई.बी.एम. की विकास रणनीति की व्यापक रूपरेखा है।)

प्रणालीगत बदलाव और स्थानीय समाधान

दूसरे शब्दों में, अल गोर जैसे पर्यावरणविद और आई.बी.एम. जो भी प्रस्ताव दे रहे हैं वो एक–दूसरे से अलग नहीं है। बहुत से लोगों के लिए यह काफ़ी आरामदायक स्थिति है, क्योंकि प्रणालीगत बदलाव भयावह लगता है: वे अपने जीवन के तरीके के आदि हैं, और मौलिक बदलाव पहाड़ से कूदने जैसा है। मगर प्रणालीगत बदलाव से डरने के बजाए, अगर इसे ठीक तरीके से किया जाए, तो इसी में हमें समाधान मिलेंगे। स्थानीय खाद्य आंदोलनों ने यह पहले ही साबित कर दिया है, जिनका उद्देश्य खाद्य प्रणाली में मौलिक बदलाव लाना था। लगभग सभी जगह स्थानीय खाद्य प्रयासों ने जड़ पकड़ी है, जिसके परिणाम जीवंत समुदायों, और ज़्यादा मज़बूत स्थानीय अर्थव्यवस्था, बेहतर खाना और स्वस्थ पर्यावरण के रूप में देखे जा सकते हैं। स्थानीयकरण के माध्यम से प्रणालीगत बदलाव की अवधारणा स्थानीय भोजन के तर्क को अन्य मौलिक ज़रूरतों पर भी लागू करती है।

जैसे कि, बिजली को देखते हैं। जिस तरह हम नहीं जान सकते कि फ्लोरिडा के औद्योगिक रूप से उगाए गए टमाटर या चिली से प्राप्त होने वाले सेबों में क्या डाला गया है, उसी तरह पूरे महाद्वीप पर फैली बिजली की ग्रिड हमें लाइट जलाने, हेयर ड्रायर का उपयोग करने, या सुबह को टोस्ट बनाने की असल सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत की पूर्ण जानकारी नहीं देती। क्या यह ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से आ रही है, या कनाडा की किसी विशाल जल–विद्युत परियोजना से, या मध्य–पश्चिमी देशों के किसी कोयले के संयंत्र से? चाहें हमें इन ऊर्जा स्त्रोतों की कीमतों की जानकारी हो तब भी, इनमें से ज़्यादातर कीमतें हमें प्रत्यक्ष रूप से या तुरंत प्रभावित नहीं करतीं।

दूसरी ओर यदि हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर से पूरी हो रही होतीं, तो हमें ऊर्जा की अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित करना ही पड़ता क्योंकि इसकी कीमत हम और हमारे पड़ोसी चुका रहे होते। ऐसे में समुदायों में जीवंत चर्चाएँ होतीं कि किस प्रकार के स्थानीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए – छोटी जल विद्युत परियोजनाएँ, पवन ऊर्जा, बायोमास, या सौर ऊर्जा। इनकी भी ऐसी कीमत हो सकती है जिसको संतुलित करना मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादातर कीमत चुकाने वाला और लाभ प्राप्त करने वाला समुदाय एक ही होता है। यदि आर्थिक, पारिस्थितिकीय, और कलात्मक लागत बहुत ज़्यादा होगी, तो ज़्यादातर समुदाय ऊर्जा के सीमित उपयोग के उपाय ढूंढ लेंगे – उदाहरण के लिए, मैक मैन्शन्सके लिए बिल्डिंग पर्मिट आवेदनों का अस्वीकार किया जाना, जो आम तौर पर सब के लिए उपलब्ध सीमित ऊर्जा का बहुत ज़्यादा हिस्सा उपयोग करते हैं।

अंततः, स्थानीय ऊर्जा उत्पादन और उस पर निर्भरता ग्रिड के एक सबसे विनाशकारी प्रभाव को मिटा सकती है: यह धारणा कि ऊर्जा असीमित है। ग्रिड की ऊर्जा पर निर्भर जीवन में हम उम्मीद करने लगते हैं कि हमें २४ घंटे, साल–दर–साल उतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, जितनी के लिए हम भुगतान करने को तैयार हैं। कैलिफोर्निया में पी.जी. एण्ड ई. बिजली कटौती – जिसका उद्देश्य जंगलों की आग का खतरा कम करना था – पर लोगों का आक्रोश दर्शाता है कि किस हद तक यह उम्मीद लोगों के अंदर बस गई है।

ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव

क्या कैलिफोर्निया के अनुभव का यह मतलब है कि लोग ऊर्जा विकेन्द्रीकरण की सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? मेरा मानना है कि यह परिवर्तन उतना मुश्किल नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, और यह मेरे अपने परिवार के २० वर्षों से बिना–ग्रिड के जीवन जीने के अनुभव पर आधारित है (ग्रिड के बिना जीवन आपको पर्यावरण नायक नहीं बनाता: मैं इस सच्चाई से वाकिफ़ हूँ कि पी.वी. प्रणाली जिस पर हम ऊर्जा के लिए निर्भर करते हैं उसकी भी पर्यावरणीय कीमत काफ़ी अधिक है)। मुद्दा केवल यह है कि ऊर्जा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में अब सीमाओं की एक स्वस्थ जागरूकता शामिल है, और परिणामस्वरूप हमने अपने व्यवहार को इसके अनुकूल ढाल लिया है। अगर कुछ दिनों तक सूर्य की रोशनी न मिली तो शायद हम वैक्युम क्लीनर का उपयोग नहीं करेंगे, इसके बदले हम झाड़ू का उपयोग करना पड़ेगा। अगर कुछ हफ्तों तक सूरज नहीं निकला तो हमें अपने बोरवेल पम्प को बंद करना होगा और इसके बजाए प्राकृतिक जलस्त्रोत का उपयोग करना होगा – जिसका मतलब है कि शौवर के लिए पर्याप्त प्रेशर नहीं होगा। ज़्यादातर समय हम अपनी ब्रेड को टोस्ट करने के लिए बिजली का उपयोग नहीं करते (क्योंकि गर्मी पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है); इसलिए हम सिर्फ सर्दियों में ही टोस्ट करते हैं, जब यह काम चूल्हे पर किया जा सकता है।

यह और कई अन्य बदलाव किसी बलिदान की तरह महसूस नहीं होते: यह सरल और तार्किक प्रतिक्रियाएं हैं चूंकि हमारे ऊर्जा स्त्रोत सीमित और अस्थिर हैं। ग्रिड को ऊर्जा देने वाले स्त्रोत भी सीमित हैं (जैसा कि संसाधनों की कमी और भूमंडलीय ताप वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) से स्पष्ट हो जाना चाहिए) लेकिन इस तथ्य और ग्रिड–से जुड़े जीवन के दैनिक अनुभवों का सीधा संबंध नहीं है।

अमरीका के एक शहर के आकाश में बिछे बिजली के तार
फोटो: विक्टोरिया क्लार्क

जैसे–जैसे ग्रह गर्म हो रहा है और महत्वपूर्ण संसाधन कम होते जा रहे हैं, लोगों को अलग–अलग उपाय ढूँढने होंगे। औद्योगीकृत, अति–विकसित दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी अधिकार की भावना को बदल कर सीमाओं की भावना अपनानी होगी। हमारी उच्च–उपभोगी जीवनशैली को छोड़ना इसलिए मुश्किल नहीं है कि यह मानव स्वभाव का हिस्सा है, बल्कि इसलिए मुश्किल है कि वह बड़े शक्तिशाली उद्योगपतियों की विकास की रणनीति के लिए ज़रूरी है। विडंबना यह है कि मीडिया और विज्ञापनों से तर–बतर उपभोगवादी संस्कृति को यदि छोटे पैमाने के स्थानीय विकल्प दिए जाएँ तो अधिकतर लोग परिपूर्ण, समृद्ध और सार्थक जीवन जी पाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, और पाने को बहुत कुछ है।

प्रणालीगत बदलाव किसी की भी सरल चीज़ों की सूची में नहीं है: इसके लिए कठिन परिश्रम, रचनात्मकता, और सत्ताधारियों के फ़ायदों के खिलाफ खड़े होने की इच्छाशक्ति की ज़रूरत होगी। नहीं तो विकल्प यही हो सकता है कि हम मान लें कि हम अपने टायरों में उचित दबाव रखने और एक नये तरह का बल्ब लगा कर ही अपना योगदान कर सकते हैं, जबकि कॉर्पोरेट जगत असीम शक्ति और अंतहीन विकास के लिए अपने एकमात्र ग्रह को नष्ट करने के लिए अग्रसर है।

स्टीवन गोरलिक लोकल फ्यूचर्स में प्रबंधक कार्यक्रम निर्देशक हैं। वे स्मॉल इस ब्यूटीफुल, बिग इस सबसीडाइज़्ड के लेखक हैं, ब्रिंगिंग द फूड ईकानमी होम के सह–लेखक हैं और द ईकनामिक्स ऑफ हैपीनिस के सह–निर्देशक हैं। उनके लेख द ईकालजिस्ट और रीसर्जन्स पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। वे अमरीका में स्थानीय अर्थव्यवस्था के विषय पर पढ़ाते हैं।

मूल रूप से लोकल फ्यूचर्स के ईकनामिक्स ऑफ हैपीनिस ब्लॉग फोरम में प्रकाशित

स्त्रोत: https://radicalecologicaldemocracy.org/thinking-outside-the-grid/

स्थानीयकरण: ब्यूएन विविर के माध्यम से जलवायु अस्थिरता और भूमंडलीकरण को संबोधित करना

क्रिश्चियन स्टालबर्ग

मेरे अनुमान में मानव इतिहास को बदलने के लिए आज एक अभूतपूर्व मौका हमारे सामने है। एक अधिक न्यायसंगत, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और रहने योग्य दुनिया के लिए आशाओं और सपनों को साकार करने के लिए आज हमारे सामने एक रास्ता खुला है, जो जलवायु के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों और इसके लिए लोगों की संभावित प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आया है। इस लेख में, पहले मैं इस बात पर चर्चा करूँगा कि कैसे तेज़ी से बदलती जलवायु के प्रभाव आधुनिक सभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरा, मैं इस विषय पर बात करूंगा कि कैसे उन प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए स्थानीयकरण सबसे ठोस प्रतिक्रिया है। तीसरा, मैं दिखाऊंगा कि ब्यूएन विविर – अच्छी तरह से रहना या कल्याण – स्थानीयकरण का पर्याय है, जिसमें सामाजिक पुनर्रचना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं, जो कि जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। मैं लेख को एंडियन क्षेत्र से ब्यूएन विविर के कुछ उदाहरणों के साथ समाप्त करूंगा।

केन्द्रीकृत प्रणालियों की कमज़ोरी

हाँलाकि मानव सभ्यता में अपेक्षाकृत लंबे समय से स्थिर जलवायु व्याप्त रही है, अब हम दुनिया भर में तेज़ी से जलवायु में उतार–चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं। अत्यधिक तापमान, बाढ़ और आग के परिणामस्वरूप फसल और जैव विविधता का नुकसान, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा, और आवास और लोगों की आजीविका को नुकसान पहुँच रहा है। हमारी लगभग सभी जीवन रेखा सेवाएं – भोजन, पानी, बिजली, स्वच्छता, परिवहन – अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणालियों द्वारा प्रदान की जाती हैं जिनमें इन त्वरित जलवायु उतार–चढ़ाव के कारण बाधा आ रही है या वे विफलता की चपेट में हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु में उतार–चढ़ाव में तेज़ी के कारण औद्योगिक कृषि खाद्य भंडार जारी रखने में असमर्थ हो जाएगी। जैसे–जैसे अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं और एकल निर्यात फसलें विफल होती हैं, पूरी आबादी को वैकल्पिक खाद्य स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए अपने आप कोई उपाय ढूँढने होंगे। अगर हमें भुखमरी नहीं, पर कम–से–कम कुपोषण से बचना है, तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी–सक्षम, मानव पैमाने पर आधारित, स्थानीय रूप से अनुकूल, कृषि खाद्य उत्पादन प्रणालियों को लड़खड़ाती औद्योगिक आयात कृषि द्वारा पैदा किए गए संकट से उबरने में मदद करनी होगी।

आइए कुछ बात निजी कार्यक्षेत्र के विषय में की जाए। नाओमी क्लीन ने अपनी आपदा पूंजीवाद की व्याख्या में पुष्टि की है कि पूंजीवादी शासक अभिजात वर्ग 'जलवायु परिवर्तन' को अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक अवसर के रूप में देखते हैं। लाभ कमाने की क्षमता में केवल युद्ध इसके नज़दीक आता है। लेकिन, समस्या यह है कि जो प्रणालियाँ हमारी सभ्यता को रेखांकित करती हैं, उनकी रूपरेखा समय के साथ–साथ अपेक्षाकृत स्थिर, अनुमानित जलवायु की परिस्थितियों में बनाई गई है। अब बेतहाशा उतार–चढ़ाव वाली जलवायु परिस्थितियों के साथ, चीज़ों के बुरी तरह से गलत हो जाने का बहुत अधिक जोखिम है, विशेष रूप से दूर बैठकर निर्णय लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए। तेज़ी से अस्थिर होते जलवायु के वातावरण में सभी संभावित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखने की लागत बहुत अधिक है। यह बीमांकिक विज्ञान द्वारा स्थिति को संभाले जाने की क्षमता से परे है।

अब सार्वजनिक कार्यक्षेत्र की बात करें तो, बढ़ती हुई जलवायु अस्थिरता से होने वाले नकारात्मक प्रभावों का दायरा और पैमाना ऐसा है कि सरकारें पहले से ही आगे आने वाले समय में और ज़्यादा

जैसे-जैसे जलवायु आपदाएँ और ज़्यादा संभावित और गंभीर होती जा रही हैं, उन पर प्रतिक्रिया करने की मानवीय क्षमता को सामुदायिक स्तर पर स्थापित करना ज़रूरी हो गया है।
चित्र: आशीष कोठारी

अभिभूत हो जाएंगी। आपदा तैयारी, खतरे को खत्म या कम करने के लिए शमन, जलवायु चरम सीमाओं के प्रभावों का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए अनुकूलन, ये सभी स्थानीय स्तर पर प्रत्येक समुदाय की ज़िम्मेदारी बन जाएगी। चूंकि जलवायु में तेज़ी से उतार-चढ़ाव एक निरंतर खतरा है, जो किसी भी समय किसी भी इलाके पर हमला कर सकता है, जिससे आपदा आ सकती है, स्थानीय समुदाय आपदा की तैयारी में दो मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करने पर विचार कर सकते हैं। पहला सिद्धांत जलवायु प्रभावों को बेहतर ढंग से झेलने के लिए मज़बूती का निर्माण करना है, और दूसरा जलवायु प्रभावों के कारण व्यवधान के बाद तेज़ी से ठीक होने के लिए लचीलेपन का निर्माण करना।

सहायकता और अधिकारों के हस्तांतरण की गंभीर आवश्यकता

आधुनिक समय में आपदाओं से प्रभावित स्थानीय लोग प्रतिक्रिया और बहाली के लिए ज़्यादातर सरकार पर निर्भर करते हैं। लेकिन, अब जबकि प्रतिकूल जलवायु प्रभावों की संभावना और दायरा बढ़ता जा रहा है, केन्द्रीकृत और अक्सर दूर स्थित संसाधनों के माध्यम से समय पर आपदा प्रतिक्रिया और बहाली की उम्मीद करना नासमझी और विनाशकारी है। समाधान यह है कि स्थानीय स्तर पर क्षमताएँ बनाई जाएँ जिससे कि समुदाय जहां तक संभव हो आत्म-निर्भर हो सकें क्योंकि जलवायु अस्थिरता अब एक आम बात होती जा रही है। इसमें आपसी सहयोग देना भी शामिल है जिससे कि जब स्थानीय प्राधिकरण आपदा के समय पर अभिभूत हो जाते हैं, तो साधन-सम्पन्न और प्रशिक्षित नागरिक संगठित होकर एक-दूसरे को मदद कर सकें। बढ़ती हुई जलवायु अस्थिरता का सामना करने की क्षमता को प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदायों में स्थापित करना ज़रूरी है। इसमें निर्णय लेना और प्रशासन भी शामिल है, जिसे अन्यथा सहायकता और अधिकारों का हस्तांतरण कहा जाता है। यह स्थानीयकरण के प्रमुख पहलू हैं, जिनके बारे में मैं लेख में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले आइए सहायकता और अधिकारों के हस्तांतरण की व्याख्या करते हैं, क्योंकि यह शब्द आज की आम भाषा में उपयोग नहीं होते। सहायकता होती है जब सभी निर्णय उनसे निपटने के लिए सक्षम शासकीय प्राधिकारण के सबसे निम्नतम स्तर पर लिए जाते हैं। अधिकारों का हस्तांतरण होता है जब केन्द्रीय सरकार उप-राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण करती है, जैसे राज्य सरकारों या नगरपालिकाओं को।

मेरा मानना है कि एक मूलभूत सिद्धांत जिसके लिए हम सभी लड़ रहे हैं वह है कि निर्णय से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोगों के सबसे करीब निर्णय लिए जाने चाहिए। समकालीन सभ्यतागत संकटों को संबोधित करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँलाकि जलवायु से संबंधित आपदाओं पर अब अक्सर मीडिया में चर्चा की जाती है, लेकिन शक्तिशाली अभिजात वर्ग वैश्वीकरण के मुद्दे की ज़्यादातर उपेक्षा करता है, जो कि हमारे ग्रह के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। लोग अपना जीवन स्थानीय स्तर पर जीते हैं, लेकिन फिर भी उसका नियंत्रण दूरस्थ राज्यों और बहुपक्षीय संधियों द्वारा किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के हितों या चिंताओं को नहीं समझते। राजकीय तंत्र ने, पूंजी के साथ अपने सौदेबाजी में, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया है जो कभी कस्बों और गांवों में प्रचलित हुआ करती थी, उद्योग और आर्थिक आजीविकाएँ सस्ते श्रम बाजारों में हस्तांतरित कर दी गई हैं, जो अक्सर विदेशों में उपलब्ध हैं – और यह वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। खाद्य सुरक्षा को दूरस्थ, तेज़ी से औद्योगीकृत होती, पारिस्थितिकीय रूप से विनाशकारी, संदिग्ध पोषण मूल्य की एकल फसल प्रणाली की बहुलता से बदल दिया गया है, जिसे बड़ी दूरी तक बेचा जाता है।

वैश्वीकरण के तहत, अनिश्चितता बढ़ जाती है और भोजन, पानी, ऊर्जा, रोजगार और आवास सहित जीवन की आवश्यक चीजों का

स्थानीयकरण आत्म-निर्भरता की क्षमता को बढ़ावा देता है और साथ ही लोगों के आसपास के प्राकृतिक वातावरण से उनका रिश्ता बनाने में भी मदद करता है।

आश्वासन भी कम होता चला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों का मनोवैज्ञानिक और भौतिक कल्याण कम हो जाता है, और उनकी सलामती नष्ट होने लगती है। लोकतांत्रिक प्रणालियाँ और संस्थाएँ भ्रष्ट हो जाती हैं, जहां चुनावी राजनीति और सरकार के प्रतिनिधिक रूप आवाज़ और तुल्यता बनाए रखने का धोखा करने लगते हैं। कानून द्वारा संरक्षित क्षेत्र अर्थहीन हो जाते हैं क्योंकि भूमि पर निरंतर आक्रमण हो रहा है और लालची बहु-राष्ट्रीय कंपनियां पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी प्रथाओं के माध्यम से उनका दोहन कर रही हैं, और सरकार में विश्वास कम हो रहा है क्योंकि कानूनों और विनियमों को लागू नहीं किया जा रहा। दूरस्थ शासन तंत्र स्थानीय स्वायत्तता को कमज़ोर बना रहा है जहां दूर बैठ कर लिए गए फैसले थोपे जा रहे हैं, और ऐसी चीज़ों के लिए बोझिल टैक्स लगाए जा सकते हैं जिनमें स्थानीय समुदायों को कोई दिलचस्पी नहीं है।

स्थानीयकरण के माध्यम से वैश्वीकरण को चुनौती

वैश्वीकरण की आपदा का समाधान क्या है? स्थानीयकरण! स्थानीयकरण एक सामाजिक आंदोलन है जो वैश्वीकरण और नव-उदारवाद की प्रतिक्रिया में हाल के वर्षों में पनपा है। यह जीवन के सतत तरीकों पर लौटने की पैरवी करता है, जिसका निर्धारण किसी जगह पर रहने वाले लोग करेंगे, न कि पृथ्वी के दूसरे कोने में बैठी कोई बहु-राष्ट्रीय कंपनी। स्थानीयकरण पूंजीवाद के कारण होने वाली व्यक्तिविहीनता और दुष्परिणामों का सामना करता है, और यह उचित तकनीकी, गोलाकार अर्थव्यवस्थाओं, स्थानीय मुद्रा, आपसी सहयोग, स्थानीय खाद्यपदार्थों, लोक सभाओं, आदि के उपयोग के माध्यम से आत्म-निर्भरता तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देता है। जगह की पारिस्थितिकी में स्थित, स्थानीयकरण स्थानीय स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देता है जिसके लिए उस जगह, विभाग, देश, क्षेत्र या महाद्वीप से बाहर से चीज़ों या सेवाओं को यातायात करने के मुकाबले कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है।

स्थानीयकरण लाने के लिए, गांवों, कस्बों और नगरपालिकाओं को और अधिक अधिकार और स्वायत्तता देना ज़रूरी है। स्थानीय लोग अपनी तत्काल और बदलती स्थितियों से निपटने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होते हैं, चाहें वे सामाजिक हों, आर्थिक या जलवायु संबंधित। चाहें वह अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की क्षमता हो, या 'मुक्त' बाज़ारों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने और बहुत दूर से लागू की गई '(वित्तीय) कीमतों को कम' करने की, या बाढ़ अथवा सूखा पड़ने पर उनके जल एवं स्वच्छता व्यवस्था की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन उपायों के नियोजन और क्रियान्वयन की। सरकार नगरपालिकाओं को स्व-निर्धारण, जैसे कि स्थानीय निर्णय-प्रक्रिया, के लिए और अधिक स्वायत्तता देकर स्थानीयकरण को बढ़ावा और मज़बूती दे सकती है। आदिवासी लोग हज़ारों वर्षों से स्थानीय लोक सभाओं के माध्यम से स्थानीय निर्णय-प्रक्रिया का पालन करते आए हैं। राष्ट्रवाद और पूंजीवादी शोषण के माध्यम से सत्ता के एकत्रीकरण द्वारा पूरे विश्व को झकझोर दिये जाने से पहले, हमारे पूर्वजों के 'पुराने' तरीकों में स्थानीयकरण लागू करने के लिए आवश्यक कई प्रथाएँ देखने को मिलती हैं। आपदा की तैयारी करने के लिए जो उपाय समुदायों को अपनाने हैं, उनमें से कई स्थानीयकरण लाने के समान उपाय हैं। स्थानीय समुदायों द्वारा मज़बूत, लचीला, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के लिए उठाए जाने वाले कदम स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृति, लोकतंत्र और खाद्य स्रोतों के पुनर्निर्माण के माध्यम से लिए जाएंगे। तेज़ी से बढ़ रही जलवायु उतार-चढ़ाव और वैश्वीकरण की दोहरी आपदाएँ जो आज समुदायों पर कहर बरपा रही हैं, इन्हें एक ही ठोस प्रयास में संबोधित किया जा सकता है।

स्थानीयकरण और ब्यूएन विविर

अब इस चर्चा में ब्यूएन विविर कहाँ फिट होता है? २१वीं सदी में, मानव आवास, जिसमें एक-दूसरे के साथ संबंध, हमारे और प्रकृति के बीच के संबंध शामिल हैं, को भौतिकवाद ने निर्धारित किया, जो वैश्वीकरण, पूंजीवाद, और नव-उदारवाद जैसे कुछ स्वरूपों में हमारे सामने आया। इन ताकतों ने अलगाव, व्यक्तिवाद, मुकाबले की भावना, लालच, अतुल्यता, वर्गवाद, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, एकरूपता, असमानता, अन्याय, और बहिष्करण को बढ़ावा दिया, जो कि सभी ब्यूएन विविर के विपरीत हैं।

एंडीयन और अमज़ोनियन दोनों समाजों में व्याप्त, ब्यूएन विविर मनुष्यों और गैर-मनुष्य इकाइयों के बीच एक साथ अच्छे से रहने के बारे में है। यह लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आश्रय के अधिकारों से संबंधित है, और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने जिसमें और अधिक खुशी शामिल है, के नए/प्राचीन तरीकों को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके लिए वह पूंजीवाद की तरह भौतिक चीज़ों के स्वामित्व को माध्यम नहीं बनाता। लोगों के आपसी और प्रकृति के साथ रिश्तों को बेहतर बनाते हुए, ब्यूएन विविर एक अनूठा समाज बनने की महत्वाकांक्षा नहीं रखता; बल्कि यह एक बहुलवादी समाज बनाने का उद्देश्य रखता है जहां विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान हो, और उनकी बराबर भागीदारी का स्वागत किया जाए। यह प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने, परिस्थितकीय तंत्रों की क्षमता के प्रति जागरूकता रखने, और तुल्य, भागीदारीपूर्ण, और सतत समाज का निर्माण करने के आदर्शों को बढ़ावा देता है। अंततः, ब्यूएन विविर प्रेम, देखरेख, सामाजिक न्याय, समानता और सद्भावपूर्ण सामुदायिक रिश्तों को प्रोत्साहित करता है।

आज के हमारे कई लेन-देन में बहुत कम या न के बराबर संपर्क होता है। इन्हें दूर से दूरसंचार के माध्यम से किया जा सकता है, और दूरी की वजह से लोगों के बीच कोई नज़दीकी या वास्तविक संपर्क नहीं होता। आज की सभ्यता लोगों के बीच आपसी भरोसे के अंत से ग्रस्त है। ब्यूएन विविर जो हमें बताता है कि स्वस्थ रिश्तों, जो विश्वास

ब्यूएन विविर, लोगों और उनकी पारिस्थितिकी के साथ स्वस्थ सहअस्तित्व की प्राचीन व्यवस्था होने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों के लिए एक प्रभावकारी प्रतिक्रिया भी है। चित्र: आशीष कोठारी

पर बनते हैं, के लिए आपसी नज़दीकी और संपर्क ज़रूरी है। विश्व में स्वास्थ्य और संतुलन की स्थिति को पुनः कायम करने के लिए लोगों, और लोगों तथा उनके पारिस्थिकीय वातावरण के बीच स्वस्थ रिश्ते होना अत्यावश्यक है।

क्या ब्यूएन विविर आज के दिन कहीं भी मौजूद है या फिर यह अतीत का केवल एक रोमांचक सपना है? ब्यूएन विविर के तत्व वास्तव में मौजूद हैं और उनकी दोबारा खोज भी की जा रही है, इसे स्थानीय स्थितियों में ढाला जा रहा है और उपयोग में भी लाया जा रहा है। प्राचीन सामुदायिक प्रथाएँ जो कि इंका युग से संबंध रखती हैं उन्हें आज एंडीयन देशों में पाया जाता है। कीचुआ और आयमारा परिवार के कबीलों द्वारा भूमि को आज भी सामूहिक रूप से जोता जाता है, जिन्हें एल्लू कहा जाता है, और यह इंका सभ्यता से चली आ रही बुनियादी सामाजिक आर्थिक इकाई है। न केवल ज़मीन का स्वामित्व सामूहिक है, बल्कि सामाजिक उपयोगिता और सामुदायिक मूलभूत निर्माण परियोजनाएं मिनका नामक सामूहिक श्रम/कार्य से की जाती हैं। एल्लू और मिनका दोनों एयनी पर टिके हुए हैं, जो कि समुदाय की आधारभूत पारस्परिकता और सहजीविता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, कि यह प्रथाएँ बिना किसी बाज़ार या वित्तीय व्यवस्था के मौजूद हैं। ब्यूएन विविर के तत्वों को प्रकट करने वाले एक गाँव का एक विशिष्ट उदाहरण पूर्वी बोलीविया के छोटे से शहर समाईपाटा में देखा जा सकता है। एक परिवर्तनकालिक कस्बा जो स्थानीय खाद्य पदार्थों और उत्पादों पर ज़ोर देता है और जिसका सामाजिक आयोजन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पारंपरिक तरीकों पर आधारित है, समाईपाटा पर शोधकर्ताओं ने अध्ययन किए हैं। परिणामों में उच्च स्तर की खुशहाली और कम पारिस्थितिकीय पदचिह्न देखने को मिलते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, मेरा मानना है कि आगे बढ़ते हुए लोगों को बढ़ते जलवायु उतार-चढ़ावों का सामना करने, और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली समस्याओं को संबोधित करने के लिए स्थानीयकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रक्रिया में, ब्यूएन विविर, जीवन की गुणवत्ता, की पुनरखोज करते हुए उसे हमारे जीवन और समुदायों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह लोगों और सरकारों द्वारा साहसिक प्रयोग करने का समय है। हम सब इसमें एक साथ हैं और हमारे पास खोने के लिए एक पल भी नहीं है।

कृषि विज्ञान, आपातकाल प्रबंधन, हरित निर्माण, अक्षय ऊर्जा, टेली-कम्प्यूटिंग, सहकारी समितियों और ईको-ग्रामों की पृष्ठभूमि रखने वाले, क्रिश्चियन स्टॉलबर्ग ने हाल में ही बोलीविया में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक वर्ष का परामर्श कार्य पूरा किया जिसके अंतर्गत उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सामाजिक और आर्थिक विकास दृष्टिकोण का विश्लेषण किया। वर्ष २०१७ में, फुलब्राइट विशेषज्ञ के रूप में, उन्होंने यूनिवर्सीदाद दे सैन साइमन, बोलीविया में 'ईकोलॉजीकल ह्यूमन हैबिटैट डिज़ाइन' पर एक पाठ्यक्रम पढ़ाया। स्टॉलबर्ग ने सोनॉम में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से एन्वाइरन्मेनटल स्टडीस एण्ड प्लैनिंग विषय में स्नातक की पढ़ाई की है, जिसमें उनका मुख्य ज़ोर ऊर्जा प्रबंधन और रूपरेखा पर था। इसके अतिरिक्त उन्होंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से बायोमिमिक्री में एम.एस. किया है। उन्होंने भवन ऊर्जा मौडलिंग, अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ईको-ग्राम और उपयोगिता कंपनियों, वास्तुशास्त्र और इंजीनियरिंग कंपनियों तथा संघों, गैर-सरकारी संस्थाओं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की आपदा तैयारी में पाठ्यक्रम पढ़ाए हैं। स्टॉलबर्ग वर्तमान में सैन फ्रान्सिस्को, कैलिफोर्निया के कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ इन्टीग्रल स्टडीस में पी.एच.डी. की पढ़ाई कर रहे हैं।

स्त्रोत: https://radicalecologicaldemocracy.org/localization-bringing-about-buen-vivir-to-address-climate-fluctuations-and-globalization%ef%bf%bc/

✦✦

३. उम्मीद के निशां

भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य में रसोई कृषि के माध्यम से स्थानीय खाद्य प्रणालियों का सशक्तिकरण – महिलाओं के ज्ञान और ज्ञान साझा करने के तरीकों का अध्ययन

मारिया विलालपंडो पेज़

पृष्ठभूमि

पुणे शहर से १३० कि.मी. दूर स्थित भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में गाँव की आदिवासी महिलायें निर्वाह कृषि और वन खाद्यान्न संग्रह, और बीज संरक्षण तथा वन उत्पाद उपभोग में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इस संदर्भ में, कल्पवृक्ष पर्यावरण समूह ने जंगली सब्ज़ियों के उत्सव को बढ़ावा देने तथा जंगली सब्ज़ियों के औषधीय लाभों और स्थानीय कृषि बीजों की किस्मों की जानकारी को बांटने में सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त, महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ १० वर्षों के काम ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं के पास विभिन्न मुद्दों पर इकट्ठा होने, जानकारी साझा करने और संगठित होने के लिए एक सुरक्षित जगह उपलब्ध है। लेकिन, स्थानीय खाद्य किस्मों का उपयोग और उपभोग, और साथ ही घरेलू खाद्य आत्म–निर्भरता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

भीमाशंकर अभ्यारण्य के अंदर, परिवारों में जेन्डर समबंधित भेद समझ में आता है, ग्रामीण आजीविकाओं के लिए पुरुष–महिलाओं में अवसरों से लेकर वन संसाधन प्रबंधन, वितरण, और स्वामित्व संबंधी बहुत असमानताएँ हैं। फिर भी, छोटी जोत वाले कृषक समुदायों में उत्पादकता और जीवनचर्या के कार्यों के बीच की तथाकथित सीमा को तोड़ा जा सकता है। इस संदर्भ में, जेन्डर–आधारित जानकारी व समझ बढ़ाने अर्थात, सांस्कृतिक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पादन को घरेलू स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी महिलाओं के ज्ञान, पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हाँलाकि वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों में जेन्डर संबंधित संवेदनशीलता है, फिर भी निर्वाह कृषि और संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की समझ और ज्ञान को हमेशा जेन्डर से जोड़ कर नहीं देखा जाता। दूसरे शब्दों में, हम जिस तरह से महिलाओं के ज्ञान और उसे साझा करने के तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं, अक्सर उसमें हम उनकी परिवार और समुदाय में मौजूदा स्थिति को नज़रंदाज़ कर देते हैं। सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में अंतर दर्शाने, और भीमाशंकर अभ्यारण्य की आदिवासी महिलाओं के जेन्डर आधारित ज्ञान के महत्व पर विश्लेषणात्मक आधार देने के प्रयास में, इस अध्ययन में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया।

जेन्डर आधारित ज्ञान

छोटी जोत वाली कृषि को मुख्यतः पुरुष–आधारित गतिविधि मानने वाली धारणाएँ (डीयरे, १९९५) प्राकृतिक संसाधनों और कृषि संबंधी अवसरों के नियंत्रण और पहुँच में औरतों को पीछे रखती हैं। छोटी कृषि प्रणाली में परिवारों के अंदर की स्थिति व सत्ता के आधार पर संसाधनों का वितरण, प्रमुखतः पुरुषों को, किया जाता है (बुशेल्ट, २०१६), और परिवारों के अंदर शक्ति असंतुलन के आधार पर किसान की परिभाषा की जाती है। साथ ही किस तरह से कृषि उत्पादन योजनाओं में महिलाओं के योगदान को देखा जाता है यह भी इसी से निर्धारित होता है।

छोटे कृषक समुदायों में ज्ञान जुटाने और साझा करने तक पहुँच सत्ता और स्तर से गहराई से जुड़ी हुई है। पुरुषों के समान कृषि संसाधनों और अवसरों तक महिलाओं की अबराबर पहुँच, तथा कृषि शिक्षा रणनीतियों में महिलाओं की विशिष्ट ज़रूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। किसान की उत्पादन–आधारित परिभाषा में निर्वाह कृषि या घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन – जिसे यहाँ रसोई कृषि कहा गया है – को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जिसकी ज़िम्मेदारी आम तौर पर महिलाओं पर होती है (बार्बरचेक, २०२०)। इसलिए, तुल्य कृषि प्रथाओं के लिए महिलाओं के कृषि मूल्यों और विशेषज्ञता तथा उसको बांटने की उनकी क्षमता की जेन्डर–आधारित समझ और विश्लेषण ज़रूरी है।

ज्ञान का जेन्डर–आधारित विभाजन करने में ज़रूरी है कि महिलाओं को केवल शामिल ही नहीं, बल्कि कृषि प्रथाओं और अवसरों में अग्रिम भूमिका दी जाए। इस दृष्टिकोण का व्यापक उद्देश्य रसोई कृषि ज्ञान और अभ्यास, और परिणामस्वरूप आदिवासी समुदायों में सामाजिक और भौतिक पुनरुत्पादन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना और उसका विश्लेषण करना है।

खाद्य संप्रभुता के उत्प्रेरक के रूप में ज्ञान और साझाकरण

ज्ञान शक्ति का संकेतक है, और यह महिलाओं के कृषि संबंधी अनुभव और अभ्यास को निखारता है। लेकिन, क्या हम खाद्य संप्रभुता के निर्माण के लिए ज्ञान को एक आवश्यक साधन के रूप में सोच सकते हैं? जहां एक ओर 'ज्ञान ही शक्ति है' की उपमा प्रेरणादायक है, लेकिन यह आदिवासी महिलाओं की ज्ञान तक पहुँच के प्रयासों, या इस ज्ञान को अन्य ज्ञान प्रणालियों द्वारा प्रतिस्थापित किये बिना अपने अंदर रखने की उनकी क्षमता को नहीं दर्शाता।

समानतावादी कृषि प्रणालियों की संभावना सीधे तौर पर महिलाओं के ज्ञान और अवसरों तक उनकी पहुँच से संबंधित है। इसलिए स्थानीय और पर्यावरणीय रूप से संबंधित कृषि पद्धतियों के उपयोग और भागीदारी में सामुदायिक जुड़ाव के लिए स्थानीय कृषि ज्ञान, साझाकरण प्रथाओं और ज्ञान सृजन के बीच के संबंध को समझना ज़रूरी है।

समान स्तर पर ज्ञान साझाकरण पद्धति महिलाओं के कृषि अनुभव, उत्तम प्रक्रियाओं और मूल्यों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती

है। एक समुदाय में महिलाओं के बीच साझा किये जाने वाले सांस्कृतिक ढांचे से प्रभावित यह रणनीति अभ्यास–आधारित मॉडल पर आधारित है। इस धारणा के आधार पर कि अधिकांश घरेलू खाद्य संबंधी मुद्दों के साझे व स्थानीय समाधान होते हैं, यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के निर्माण से जुड़ा है, जहां ज्ञान अर्जन, साझा, और एक साथ वितरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में महिलायें अपने अनुभव का उपयोग करते हुए इसे साझा करने की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ती हैं। इस दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी क्षमता विशिष्ट संदर्भों, कृषि प्रणालियों, और खेती की स्थितियों की ज़रूरतों को पूरा करने में निहित है (हॉल्ट–गिमेनेज, २००६)। महिलाओं और पुरुषों को सीखने और साझा करने के लिए समान रूप से सुलभ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कृषि में महिलाओं के ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ उठाना आवश्यक है।

कार्य प्रणाली

महिलाओं के व्याख्यानों को अक्सर दर्ज नहीं किया जाता और न ही उनका हिसाब रखा जाता है और पारंपरिक सर्वेक्षण–आधारित शोध पद्धतियाँ और संरचित साक्षात्कार जेन्डर–आधारित भेद को समझने में सक्षम नहीं हैं न ही वे गुणात्मक डाटा के सह–निर्माण में महिलाओं को शामिल करते हैं। इस ज्ञान मानचित्रण गतिविधि के लिए उपयोग की गई पद्धति में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि महिलायें सामूहिक रूप से अपने मौजूदा ज्ञान और ज्ञान साझाकरण प्रथाओं को बाँट सकें, और साथ ही उनका पुनर्मूल्यांकन कर सकें।

यह ज्ञान मानचित्रण गतिविधि खाद्य विकल्पों की सामूहिक कल्पना का हिस्सा है जो निर्वाह कृषि और खाद्य उत्पादन गतिविधियों के बारे में महिलाओं के विशिष्ट ज्ञान को सच में पहचानती है। महिलाओं के ज्ञान की पुनरपुष्टि और पुनर्मूल्यांकन – प्राकृतिक कृषि तकनीकों, रसोई कृषि, और वन/देशी फलों व सब्ज़ियों के मूल्य पर – सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय खाद्य प्रणालियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान के प्रति अंतर्खंडीय दृष्टिकोण – व्यावहारिक, अनुभवात्मक, सांस्कृतिक, और जेन्डर–आधारित – का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाह कृषि से संबंधित महिलाओं के ज्ञान और कौशल की व्यापक समझ बनाई जाए, और स्वतंत्र ज्ञान साझाकरण नेटवर्क के निर्माण के लिए इसके पुनर्मूल्यांकन का लाभ उठाया जाए। इस अध्ययन पर काम जारी है और लंबे समय में, यह महिलाओं की आयोजन क्षमता और स्थानीय ज्ञान और अनुभव के वितरण के जेन्डर–विशिष्ट तरीकों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।

मुख्य परिणाम

रसोई कृषि महिलाओं के लिए आसानी से उपलब्ध फल और सब्ज़ियों का प्रमुख स्त्रोत दिखाई देता है। अगर रसोई कृषि की उपज अच्छी होती है तो महिलाओं को स्थानीय बाज़ारों तक लंबी दूरी तय करने और यह उत्पाद खरीदने पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीज की उपलब्धता निर्धारित करती है कि रसोई कृषि में क्या उगाया जाएगा और महिलाओं, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के बीच अनौपचारिक बीज लेन–देन की प्रथाएँ भी इसी से निर्धारित होती हैं। जहां एक ओर कृषि क्षेत्र में क्या उगाया जाएगा इसके निर्णय आम तौर पर पुरुषों द्वारा किये जाते हैं, वहीं दूसरी ओर रसोई कृषि में क्या उगाया जाएगा इसका निर्णय महिलायें लेती हैं। हाँलाकि पुरुष शायद ही किसी रसोई कृषि गतिविधि में शामिल होते हों, लेकिन महिलायें कृषि क्षेत्र के काम में भारी सहयोग करती हैं। इस बात पर ज़ोर देना इसलिए ज़रूरी है चूंकि बारिश के मौसम में रसोई कृषि और धान की रोपाई एक ही समय पर होती है। इसके अतिरिक्त, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि महिलायें पानी लाने, खाना पकाने, सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए ज़िम्मेदार होती है, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है।

रसोई कृषि महिलाओं को अपने निर्णय लेने और घरेलू खपत के लिए सब्ज़ियों और फलों के अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए जगह देती है। ज्ञान साझा करने की प्रथा भी पूरी तरह से महिला–नेतृत्व वाली प्रतीत होती है, क्योंकि महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपनी माँओं, दादियों, और सास तथा गाँव की अन्य महिलाओं से रसोई कृषि के बारे में सीखा है। ज्ञान और रसोई कृषि प्रथाओं का आदान–प्रदान आम तौर पर अनौपचारिक तरीकों से किया जाता है, या तो यात्राओं या मौखिक रूप से। यह ध्यान देने योग्य है कि महिलायें सीखने की एक विधि के रूप में स्वयं देखने और करने को अधिक महत्व देती हैं। उदाहरण के लिए चूल्हा और भानुस (नमक और मसाले रखने की पारंपरिक जगह) – ऐसी जगह हैं जहां ज्ञान का आदान–प्रदान किया जाता है, साथ ही जंगली सब्ज़ियों को पकाने की विधियाँ भी सिखाई जाती हैं।

महिलाओं की सामाजिक–पारिस्थितिक प्रथाओं का रूमानिकरण किये बिना, यह स्वीकारना ज़रूरी है कि भीमाशंकर अभ्यारण्य में पोषण, पाक, और भोजन संबंधी ज्ञान जेन्डर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। परिवारों की घरेलू सीमाओं के भीतर, भूमि के छोटे टुकड़ों में ढलानों पर, और यहाँ तक कि उनके खेतों के किनारों पर भी आदिवासी महिलाओं ने अपना भोजन उगाने के लिए कुछ लचीले तरीके खोजे हैं। महिलाओं में रसोई का ज्ञान पीढ़ी–दर–पीढ़ी चला आ रहा है और वे अपने बचपन में क्या और कैसे उगाती थीं, और वयस्कता में क्या उगा रही हैं, इसकी समानताएँ उनकी रसोई कृषि प्रथाओं को महिला परंपरा के रूप में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। यह 'परंपरा' परिवार की खाद्य आत्म–निर्भरता की बुनियाद है, और यही कारण है कि आदिवासी समुदाय स्थानीय फल और सब्ज़ियों की किस्मों को उगाकर उपभोग कर सकते हैं, जो उन्हें बेहद पसंद हैं। जैसा कि उन्होंने कहा: अम्हला पाहिजे तेनवा आम्ही परसबागेत जातो आणि लागेल ते घेऊन येतो जिसका मतलब है हम जब भी जो कुछ भी चाहते हैं, वो रसोई कृषि से ले आते हैं।

लेकिन, उत्पादक कृषि पद्धतियों और ज्ञान तथा 'पुराने' या स्थानीय ज्ञान के बीच तनाव मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है। जब महिलाओं के रसोई कृषि अनुभव और जानकारी को उनके घरेलू काम के विस्तार के रूप में देखा जाता है, तो उनकी कृषि पद्धतियों को कम आँका जाता है, और इसके परिणामस्वरूप उनकी संसाधानों तक पहुँच और साझाकरण संभावनाएँ कम हो जाती हैं। इस खोजपूर्ण अध्ययन में इस धारणा के अंतर्गत काम किया गया है कि सहभागी और दृश्यात्मक शोध प्रक्रियाओं का उपयोग स्थानीय ज्ञान पुनर्मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। यह कार्यप्रणाली औपचारिक और अनौपचारिक ज्ञान के बीच के अंतर को अमान्य करती है और ज्ञान साझाकरण तथा पुनर्मूल्यांकन में अवलोकन, लचीलापन, और अनुकूलनशीलता पर ज़ोर देते हुए, महिलाओं को आत्मविश्वास प्राप्त करने और उनकी विशेषज्ञता को मान्यता देने का प्रयास करती है। रसोई कृषि प्रथाओं की विशेष जानकारी उजागर करने के अलावा, फोकस समूहों के माध्यम से महिलाओं को खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता के बारे में जागरूक भी किया गया।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ज्ञान के विकास के तरीकों को प्रभावित करती है और निर्धारित करती है कि क्या उनके अनुभव आसानी से प्रसारित और अपनाए जा सकते हैं। जलवायु अनिश्चितता और भोजन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विश्वास बढ़ाने और सामाजिक नेटवर्क बनाने के लिए समस्तरीय और स्थानीय नेतृत्व वाले लेन- देन के तरीके ज़रूरी हैं। इसके अलावा, महिलाओं के नेतृत्व वाली जगहों को मज़बूत करने के लिए व्यावहारिक और भागीदार ज्ञान साझाकरण प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, और समुदायों के लिए खाद्य संप्रभुता के निर्माण में महिलाएँ जो योगदान कर रही हैं उन्हें पहचानना और महत्व देना ज़रूरी है।

द्वारा: mariavillalpandoberkeley.edu

✦✦

४. वृत्त अध्ययन

लद्दाख का गोबा – पारंपरिक प्रशासन तंत्र की वर्तमान प्रासंगिकता

कल्पवृक्ष, स्नो लेपर्ड कन्सर्वन्सी – इंडिया ट्रस्ट, नेचर फाउंडेशन, लोकल फ्यूचर्स और लद्दाख आर्ट्स एण्ड मीडिया ऑर्गनिज़ेशन

सारांश

पृष्ठभूमि

समूचे भरत के आदिवासी व अन्य स्थानीय समुदायों के स्थानीय शासन की पारंपरिक प्रणालियाँ रही हैं जो कभी अलिखित रूप में या कभी-कभी लिखित आचार संहिताओं और निर्णय प्रणाली के रूप में मौजूद होती हैं। आज भी ऐसी कई प्रणालियाँ पंचायत प्रणालियों के साथ समांतर रूप से चली आ रही हैं, या पारंपरिक एवं आधुनिक शासन प्रणालियों के मिश्रण से उनके नए रूप बनाए जा रहे हैं, विशेषकर उन समुदायों में जो अभी भी पारंपरिक व्यवसाय और जीवन शैली (वन-आधारित, चारागाही, मछलीपालन, और/या कृषि) जी रहे हैं। लेकिन, इन प्रणालियों के आधुनिक राजकीय संस्थानों के साथ काम करने, उनकी वर्तमान या निरंतर चली आ रही संबद्धता, और नये, कल्याण, तथा पारिस्थितिकीय सततता के लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी भूमिका के विषय पर बहुत कम अध्ययन किए गए हैं।

अध्ययन: क्यों और क्या

यह अध्ययन लद्दाखी गांवों की पारंपरिक शासन प्रणाली की वर्तमान स्थिति के दस्तावेज़ीकरण का एक प्रयास है, जिसमें गोबा (लंबरदार/नंबरदार), और इस क्षेत्र में हो रहे सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में व्यवस्था की वर्तमान प्रासंगिकता को समझना शामिल है। इसके लिए, अध्ययन के अंतर्गत स्थानीय/पारंपरिक और नई/आधुनिक शासन प्रणालियों

के बीच अंतराफलक को भी देखा गया है, जैसे कि गोबा का पंचायत के साथ, लद्दाख हिल काउन्सिल और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच।

इस अध्ययन को लद्दाख के चार क्षेत्रों में किया गया: शम क्षेत्र, ज्ञा–रुमत्से क्षेत्र, लेह शहर और उसके आसपास, और चांगथाँग। चांगथाँग क्षेत्र को विशेष रूप से पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक विशिष्ट पृष्ठभूमि के रूप में चयनित किया गया (चूंकि वहाँ पर प्रमुखतः घुमंतू चरवाहे पाए जाते हैं), जहां स्थानीय प्रशासन में अद्वितीय विशेषताएँ पाई जा सकती हैं। हम इससे प्राप्त विशेष रूप से लद्दाख के लिए प्रशासन, लोकतंत्र और स्वायत्तता संबंधित प्रमुख सीखों को रेखांकित कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमारा सवाल है: अगर गोबा प्रणाली आज भी संबद्धता रखती है, तो उसे कायम रखने, उसकी भूमिका स्पष्ट करने और उसकी कार्यपद्धति को मज़बूत करने के लिए क्या किया जा सकता है?

यह अध्ययन कल्पवृक्ष और स्थानीय सहभागी संस्थाओं स्नो लेपर्ड कनज़रवैंसी – भारत ट्रस्ट, नेचर कनज़र्वेशन फाउंडेशन, लद्दाख आर्ट्स एण्ड मीडिया ऑर्गनाईज़ेशन, और लोकल फ्यूचर्स का सहयोगात्मक प्रयास है। दो वर्षों के दौरान, लेखकों ने गोबाओं (वर्तमान और भूतपूर्व), मेमबार (गोबा का सहयोग करने वाले), सरपंचों, पंचों, परामर्शदाताओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिकों, और कार्यकर्ताओं, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख, और लद्दाख के राज्यपाल के साथ अर्ध–संरचित एकल या समूह इंटरव्यू या खुली चर्चाएँ की।

परिणाम

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब शुरू हुआ, गोबा एक प्राचीन प्रणाली प्रतीत होती है जिसे जम्मू और कश्मीर लंबरदारी अधिनियम, १९७२ के अंतर्गत औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त थी (जिसके नियम १९८० में प्रकाशित किए गए) और इस प्रणाली में नंबरदारों (इस शब्द का लद्दाख में लंबरदार के मुकाबले ज़्यादा उपयोग होता है) का ५ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनाव किया जाता था, और उनके लिए मानदेय भी उपलब्ध कराया गया था। गोबा राजस्व विभाग के आधीन थे, और गोबा तथा पटवारी (राजस्व अधिकारी) साथ मिलकर काम किया करते थे जिसमें वे ज़मीन, जनसंख्या, पशुओं और अन्य मामलों का सत्यापन करते थे। गोबा गाँव के मुखिया होते हैं जो गाँव के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक–धार्मिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। पारंपरिक रूप से गाँव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होने के नाते, गाँव के ऐसे व्यक्ति को गोबा के रूप में चयनित किया जाता था जिसका गाँव में सम्मान हो और उसे स्थानीय इतिहास की अच्छी समझ हो, उसमें लोगों से संपर्क और अच्छे रिश्ते बनाने का कौशल हो। कुछ जगहों पर यह वंशानुगत पद हुआ करता था।

गोबा के साथ, गाँव वाले मेमबार (गोबा के सहयोगी), कुतवाल (गोबा के संदेशवाहक) का भी चयन करते थे। महत्वपूर्ण है कि गोबा अपने आप में अधिकार नहीं रखते, बल्कि ग्राम सभा (युलपा) के परामर्श के साथ काम करते हैं, हाँलाकि पूरे लद्दाख में सलाह के दायरे और प्रकार में भिन्नताएँ हो सकती हैं।

गोबा के कुछ प्रमुख कार्य (वर्तमान में लद्दाख के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में अलग–अलग प्रकार से किए जाते हैं):

१. गाँव स्तरीय बैठकें बुलाना और विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामाजिक आयोजनों का संयोजन करना

२. युलपा में झगड़े सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही आंतरिक स्तर पर जानकारी के संचार और संपर्क को सुनिश्चित करते हैं।

३. सामान्य जनसांख्यिकीय विवरण जैसे घरों, महिलाओं, पुरुषों, जानवरों, मृत्यु और जन्म की संख्या की जानकारी संकलित करते हैं। वह मृत्यु, जन्म और चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं।

४. सरकारी योजनाओं का रिकार्ड रखते हैं और प्रशासन के साथ उन मुद्दों पर संपर्क बनाए रखते हैं जिन पर पंचायत और/या परिषद काम नहीं करती।

५. गाँव में कटाई और खेती के समय, और सिंचाई के पानी के चक्र और वितरण की अध्यक्षता; अनुष्ठानिक दावत की मेज़बानी के लिए परिवारों की ज़िम्मेदारी के चक्र पर नज़र रखते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी परिवारों को सिंचाई के लिए पानी मिले (कभी–कभी एक चुरपोन के सहयोग से, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है); और सिंचाई नहरों के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं।

६. चांगथाँग में, चरागाह भूमि की सूची व्यवस्थित रखते हैं, व्यक्तिगत परिवारों के साथ पशुओं की संख्या और चरवाहों द्वारा पालन की जाने वाली सीमाओं, प्रवास के समय पर निर्णय लेने के लिए बैठकें आयोजित करते हैं, चारागाह भूमि को आवंटित करने या वापस लेने की शक्ति इनके पास है, और दो चरवाहा समुदायों के बीच चारागाह भूमि के मुद्दे पर झगड़ा होने पर उसका समाधान करते हैं।

७. पारंपरिक मानदंडों, थिम की अनुपालना सुनिश्चित करते हैं।

विश्लेषण

१. गोबा प्रणाली की मज़बूती जैसी पहले थी और अभी भी है:

क. हमारे अध्ययन स्थलों पर लगभग सार्वभौमिक रूप से, लोग इसे अपने 'जीवन के तरीके' या 'अस्तित्व' के एक महत्वपूर्ण और निरंतर भाग के रूप में पहचानते हैं, और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जहां पंचायतें सक्रिय हैं वहां भी इसका कायम रहना ज़रूरी है।

ख. गोबा प्रणाली 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' के कुछ तत्वों को दर्शाती है, जिसमें यह गाँव (जहां हर घर की अत्यधिक भागीदारी रहती है) को प्राकृतिक संसाधनों, आजीविका और सामाजिक–सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह विशेष रूप से कई 'आंतरिक' गाँवों (लेह शहर से दूर) में होता है जहाँ पारंपरिक आजीविकाएँ अभी भी प्रचलित हैं, और जो गाँव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में पहले से और अभी भी, अपेक्षाकृत स्वायत्त हैं।

ग. यह निर्णय लेने की एक स्थान–आधारित प्रक्रिया है जो अक्सर (हालांकि ज़रूरी नहीं) चारागाहों और जल निकायों सहित स्थानीय पारिस्थितिक संदर्भों के महत्व और सीमाओं से परिचित होती है।

घ. अपेक्षाकृत अराजनैतिक (मतलब कि, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र) रहते हैं, जिसे सरपंच की तुलना में ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है।

२. गोबा प्रणाली की कमज़ोरियाँ, जैसी पहले थीं और अभी भी हैं

क. गोबा प्रणाली की प्रमुख कमियों में से एक है इसकी लैंगिक एकरूपता, जिसमें महिला गोबाओं का लगभग कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता (और जहां उदाहरण मौजूद हैं, वह उन घरों में पुरुषों की अनुपलब्धता के कारण है, जिन्हें एक विशिष्ट वर्ष में गोबा की भूमिका निभाने के लिए नामित किया जाता है)।

ख. पारंपरिक संरचनाओं और संबंधों से संबंधित अन्य असमानताएँ, जैसे वर्ग, जाति, आयु, के कारण भी इस प्रणाली में भागीदारी सीमित रहती है।

ग. आधुनिक काल में अनेक परिवर्तनों के कारण गोबा बनने के लिए प्रोत्साहन का अभाव।

३. गोबा व अन्य (नए) संस्थान – यह देखते हुए कि लंबरदारी अधिनियम में गोबा की सामाजिक ज़िम्मेदारियों और महत्व को उचित मान्यता नहीं दी गई है, और जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम १९८० और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, १९९७ में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, उनके अंतरसंबंधों पर अस्पष्टता है। कई क्षेत्रों में, गोबा और सरपंच/पंचायत, या पार्षद की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ एक–जैसी हैं। इसलिए, एक–जैसी ज़िम्मेदारियों, जैसे कि कृषि, जल प्रबंधन, पशुधन रखरखाव, अनुष्ठानों और त्योहारों के प्रबंधन, के संबंध में यह स्पष्टता नहीं है कि वह किसका क्षेत्राधिकार है, या क्या इनमें से कुछ या सभी मुद्दों पर आपसी परामर्श और संयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है।

४. दलगत राजनीति और गोबा – गोबा की भूमिका किसी भी व्यक्ति और राजनीतिक हित से प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसे लोगों की आवाज़ का ज़्यादा भरोसेमंद प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन, पिछले दशक से लद्दाखी समाज में राजनीतिक दलों की मौजूदगी काफ़ी बढ़ी है, और कई लोगों ने बताया कि गोबा के किसी राजनीतिक दल के पक्ष में झुकाव होने (हाँलाकि उनका चुनाव इस आधार पर नहीं होता) की स्थिति में मतभेद हुए हैं, जबकि निर्वाचन क्षेत्र के सरपंच और/या पार्षद ज़्यादातर किसी पार्टी के साथ ज़्यादा संबंध रखते हैं।

५. संबद्धता और भूमिका: (में) गिरावट या महत्व कायम है? गोबा को आज भी कई लोग न केवल सांस्कृतिक बल्कि गाँव के प्रशासनिक और राजनीतिक मुखिया के रूप में देखते हैं, जिसे अब पंचायत या पार्षद द्वारा वित्तीय तथा अन्य सरकारी योजनाओं का सहयोग मिलता है (या मिलना चाहिए)। कई चर्चाओं में हमें यह स्पष्ट हुआ कि सरपंच का पद महत्वपूर्ण है लेकिन वह गोबा की जगह नहीं ले सकते, सभी उत्तरदाताओं के जवाबों में यह बात स्पष्ट थी। खासकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मामलों में गोबा की भूमिका के संदर्भ में जो कि गाँव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं; ज़मीन और जल संबंधी मामलों में; और चांगथाँग में, चरवाहों से संबंधित मामलों में। हमें यह भी देखने को मिला कि जहां भी लोगों की पशुपालन और कृषि की पारंपरिक आजीविकाएँ कायम हैं, वहाँ गोबा अभी भी प्रासंगिकता रखते हैं, लेकिन लेह के आसपास के गांवों या लेह शहर में ऐसा नहीं है, जहां परामपरिक आजीविकाएँ खोती जा रही हैं।

हाल में एक चिंताजनक मुद्दा उभर कर आया है जहां नंबरदारों के लिए ६० वर्ष आयु की सीमा लगा दी गई, जिसे सभी उत्तरदाताओं ने अनुचित माना।

६. लोकप्रिय पद या एक बोझ? सभी क्षेत्रों में, गोबा की भूमिका को अब बोझिल माना जाता है, क्योंकि उनकी अपनी आजीविका (जिनमें अब गाँव वाले उतना सहयोग नहीं करते जैसे पहले करते थे) और गोबा पद की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं । इसमें रुचि की कमी होने का एक और कारण यह है कि गोबा को बेहद न्यूनतम मानदेय दिया जाता है, जैसे कि रु.१५०० प्रति माह, जो कि

गोबा की अनिवार्य भूमिका को निभाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। इसके कारण, कई गांवों ने क्रमिक या लोटरी प्रणाली से गोबा का चुनाव करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि कई बार बिना उचित जानकारी या जिसमें लोगों का विश्वास नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति चुन लिए जाते हैं; कार्यकाल की अवधि भी अब इतनी कम हो गई है (एक से दो वर्ष) कि गोबा अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं पाते।

संस्तुतियाँ

१. गोबा को अधिक मान्यता और प्रोत्साहक: गोबा की मानदेय में बढ़ोतरी के विषय पर विचार किया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि इसे वर्तमान में रु.१५०० से बढ़ाकर कम-से-कम रु.५००० प्रति माह किया जाए; और इसे हर माह तुरंत भुगतान किया जाए। महत्वपूर्ण है, कि इसके आधार पर गोबा या नंबरदारों को सरपंच से अधिक 'सरकारी कर्मचारी' न समझा जाए; वह सर्वप्रथम लोगों के प्रतिनिधि हैं, और उनके मानदेय या खर्च के लिए मुआवज़े को उनकी सेवाओं की मान्यता के रूप में देखा जाना चाहिए, जो वे सरकार के लिए भी देते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार से, गोबाओं को स्पष्ट सामाजिक मान्यता और लाभ भी दिए जाने चाहिए, जैसे कि केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन और परिषद द्वारा उनके काम को उचित रूप से मान्यता दिया जाना। इसके लिए समुदायों को भी अपनी पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करना होगा जिससे कि वे सेवारत गोबाओं के सहयोग के लिए आंतरिक तरीके ढूंढ सकें।

२. आंतरिक असमानताओं से निपटना: समानता, न्याय, समाविष्टि और निष्पक्षता, विशेषकर जेन्डर और जाति अपवर्जन के संबंध में, के मूल्यों के आधार पर गोबा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए कदम उठाना ज़रूरी है। इसके लिए एक संभावना है कि लंबरदारी अधिनियम के नियमों या दिशानिर्देशों में महिलाओं, युवाओं और हाशिये की जातियों के लिए पद को खोला जाना और प्रोत्साहन दिया जाए।

३. गोबा और अन्य शासनिक संस्थानों के बीच प्रशासन की स्पष्ट सीमाएँ: सभी संबद्ध कानूनों, जिसमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, जम्मू कश्मीर पंचायती अधिनियम, और केंद्र-शासित क्षेत्र के सभी नियम एवं प्रक्रियाओं में संशोधन या अधीनस्थ नियम/दिशानिर्देश जारी करने होंगे जो सुनिश्चित करें कि परिषद, पंचायतें, और केंद्र-शासित क्षेत्र प्रशासन संबंधित सामुदायिक मामलों में गोबा से सलाह लें। लंबरदारी अधिनियम में भी संशोधन किए जा सकते हैं या इसके अंतर्गत नियम या दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं, जहां पहले से सूचीबद्ध गोबा की ज़िम्मेदारियों के अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट की जा सकती हैं। इसी प्रकार के कदम लेह नगर निगम में भी शुरू किए जा सकते हैं, जहां निगम और शहर के वार्ड सदस्य संबंधित मामलों पर गोबा की सलाह लें, और शहरी तथा उप-शहरी क्षेत्रों में गोबा की भूमिका स्पष्ट की जाए (जैसा कि लेह विज़न २०३० में सुझाव दिया गया है)।

४. उम्र सीमा: ६० वर्ष उम्र की सीमा को तुरंत हटाया जाना चाहिए, और या तो इसे खुला कर दिया जाए या बढ़ा कर ७० वर्ष किया जाना चाहिए।

५. लद्दाख स्तरीय गोबा संघ: अन्य क्षेत्रीय संघों के साथ-साथ लद्दाख स्तरीय गोबा संघ की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका ढांचा और नियम ऐसे रखे जाएँ जो गोबाओं को उचित लगें; यह सामूहिक आवाज़ और लोकपैरवी, तथा सर्वोच्च प्रथाएँ साझा करने के लिए ज़रूरी है। यदि इसकी स्थापना की जाती है, तो इसे पहाड़ी परिषद तथा केंद्र-शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।

६. समकालिक मुद्दों के लिए नए मानदंड/ नियम: पारंपरिक नियमों, थिम, में जल की स्वच्छता बनाए रखने, कचरा न फैलाने आदि से संबंधित कुछ उपाय शामिल हैं, लेकिन यह हाल के समय में आए बड़े बदलावों के संदर्भ में काफ़ी नहीं हैं, या अपने आप में कमज़ोर पड़ चुके हैं। जैसे कि, ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने, या फिर बड़े पैमाने पर पर्यटन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए इनका अनुकूलन नहीं किया गया है। इन मुद्दों पर कुछ चर्चा होना और बदलाव लाना ज़रूरी है, और इनकी शुरुआत गोबा भी कर सकते हैं, या फिर युवा एवं महिला संघ, या संबंधित धार्मिक संस्थान।

७. लद्दाख की संवैधानिक स्थिति: लद्दाख के विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक और परिस्थितकीय चरित्र के कारण इस क्षेत्र को भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मान्यता देने पर विचार करना ज़रूरी है। यदि यह मान्यता दी जाती है, तो लद्दाख के शासन संस्थान जिसमें पहाड़ी परिषद शामिल है, गोबा प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दे पाएंगे जिससे तृणमूल स्तरीय प्रशासन को मज़बूती मिलेगी।

८. युलपा की भूमिका: ७३वें संवैधानिक संशोधन, और विशेषकर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम की भावना है कि ग्राम सभा को निर्णय लेने की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और मूल इकाई बनाया जाए। इस कारण से, लद्दाख को संविधान की ५वीं अनुसूची के अंतर्गत लाने, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्व-प्रशासन के प्रावधान (और स्पष्ट करना कि युलपा ग्राम सभा के समकक्ष है), पर विचार किया जाना चाहिए; या फिर, यह औपचारिक सुदृढीकरण ६ठी अनुसूची के अंतर्गत किया जा सकता है।

९. जागरूकता बढ़ाना: गोबाओं, सरपंचों, पार्षदों, अधिकारियों, नागरिक समूहों के साथ चर्चाओं में उन्होंने पारंपरिक एवं आधुनिक संस्थानों में विभिन्न पदों की भूमिका और ज़िम्मेदारियों के विषय पर अस्पष्टता के बारे में शिकायत की। हमारा सुझाव है कि समाज के विभिन्न भागों के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ, जिसमें संबंधित कानूनों और रीति–रिवाज़ों, और विभिन्न संस्थानों और उनकी ज़िम्मेदारियों की व्यवस्थित व्याख्या की जाए।

१०. अन्य अध्ययन: इस अध्ययन को लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाए, जिसमें कारगिल ज़िला, और लेह का नुबरा ज़िला भी शामिल किया जाए, और इस अध्ययन में स्थान–आधारित स्थानीय प्रशासन प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया जाए। और, गोबाओं के चुनाव और ज़िम्मेदारियों में भेदभाव के पारंपरिक या चले आ रहे प्रकारों (जेन्डर, जाति, वर्ग, उम्र, धर्म) की बेहतर समझ बनाने के लिए अध्ययनों की आवश्यकता है। लद्दाखी विद्यार्थियों को इन अध्ययनों में शामिल किया जा सकता है।

(संपर्क: shrishteebajpaigmail.com)

✧✧

पाठकों के लिए संदेश:

प्रिय पाठकों, यदि आप समुदाय व संरक्षण की प्रति किसी अलग पते पर प्राप्त करना चाहते है तो कृपया हमें अपना पता milindwani@yahoo.com पर या नीचे लिखे पते पर भेज दें।

कल्पवृक्ष

डॉक्यूमेन्टेशन ऐंड आउटरीच सेन्टर, अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना,

पुणे ४११००४. महाराष्ट्र – भारत

वेबसाइट : www.kalpavriksh.org

समुदाय व संरक्षण : जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा संस्करण अंक ११, नं. १ एप्रिल – सितंबर २०२२

संकलन एवं संपादन : मिलिन्द वाणी

संपादकीय सहयोग : अनुराधा अर्जुनवाड़कर

हिंदी अनुवाद : निधि अग्रवाल

कवर फोटो: कंकना त्रिवेदी

प्रकाशक :
कल्पवृक्ष,
अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८,
डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४.
फोन : ९१–२०–२५६७५४५०,
फैक्स : ९१–२०–२५६५४२३९
ई–मेल : KVoutreach@gmail.com,
वेबसाइट : www.Kalpavriksh.org

आर्थिक सहयोग : मिजेरिओर, आचेव, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,